

हिमाचल प्रदेश सरकार  
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग ।

संख्या: पी.सी.एच.-एच.ए. 44/74

दिनांक, शिमला-171002, 23-4-74

" अधीक्षण "

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क व 243 Z.A के साथ पीठत हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1974 § 1994 का 4 § की धारा, 160 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं और श्री बी.पी.डी. नेगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा § सेवा निवृत्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश § को राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयोग को देय वेतन और भत्ते, पदावीध और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1974 की धारा 160 की उपधारा § 2 § के अधीन बनार जाने वाले नियमों में विहित की जाएं ।

आदेश द्वारा

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठानुक्रम संख्या: पी.सी.एच.-एच.ए. 44/74; दिनांक, शिमला-171002, 23-4-74  
प्रतीलीप प्रेषित है:-

1. श्री बी.पी.डी. नेगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा § सेवा निवृत्त मुख्य सचिव § सैक्टर नं०-1 न्यू शिमला, हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त, सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. सिविल सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री/ मन्त्री/ राज्य मन्त्री/ मुख्य संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 ।
4. पंचायत, उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त उपस्थित हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त पी.सी.एच. अधिकाारी/ उपमण्डलाधिकाारी/ नागरिक ङाण्ड विकास एवं पंचायत अधिकाारी, हिमाचल प्रदेश ।
7. उप-निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 को आज ही राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।

*(Signature)*  
अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार